



राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी  
NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

30-31, इंस्टिट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110 058 दूरभाष 28525994

30-31, Institutional Area, Near CNG Petrol Pump, Opp. 'D' Block, Janak Puri, New Delhi 110058  
Phone: 011-28521199, Fax: 011-28524079/28524078/28525987

No.13/16/2011-12/NATRSS/NW-Exptd.Estab/

Dt.

To

The President/Manager

3632

10 अक्टूबर 2011

Subject: *National Workshop for Representatives of Exempted Establishments on 1-2 December 2011 – Inviting of Nominations - Regarding.*

Sir,

The National Academy for Training & Research in Social Security has been conducting the National Workshops for the Exempted and Uexempted Establishments under Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 for the last several years.

The response for the programme from the industry has been very encouraging and almost all of the participants felt that such programmes should be conducted regularly to inform the developments in EPF and EPS Administration.

As per the requests of the participants in the earlier programs, and keeping in view the developments in EPF and EPS Administration, we have designed a two day National Workshop for **Exempted Establishments** on **1-2 December 2011**.

We propose to discuss in the workshop on all relevant issues like:

- **Discussing the provisions of the Act and the Schemes**
- **Identify the issues involved in compliance management of exemption**
- **State the nature and periodicity of returns from exempted establishments**
- **Sorting out processes and procedures for better coordination and cooperation**
- **Discuss the investment pattern for provident funds.**

A copy of programme announcement and Nomination form are enclosed.

The course fee for Residential participants is @ **Rs.8,000/-** per participant covering boarding and lodging, course material etc. and **Rs.6,000/-** per participant for those who have not availed accommodation at NATRSS. However, the stay arrangements have been made for nominated person(s) in the campus of the Academy by the evening of previous day i.e. **30.11.2011** and next day morning of the programme. Please also indicate whether the nominated officer would avail residential facility or not.

Contd...

We request you to sponsor suitable number of Officers of the Trust in your establishment for the above workshop.

Your nomination along with the participation fee by way of a demand draft drawn on any scheduled bank in favour of National Academy for Training & Research in Social Security may please reach preferably before **20<sup>th</sup> November, 2011** for further necessary action at our end. Detailed programme announcement and the Nomination form are enclosed.

For any further clarification or query you may contact the undersigned at Phone No.011-28525993 or e-mail: [natrss@hotmail.com](mailto:natrss@hotmail.com)

Encl: as above.

Yours faithfully,



( **Maneesh Agnihotri** )  
**Dy. Director & Course Director**



राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी  
NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम मंत्रालय भारत सरकार  
Employees' Provident Fund Organisation (Ministry of Labour, Govt. of India)  
30-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली 110 058  
30-31, Institutional Area, Janak Puri, New Delhi-110058  
दूरभाष-28525994, फैक्स-28524079  
Phone: 28525994, Fax: 28524079  
website- www.natrss.gov.in  
Email.natrss@hotmail.com

सं.13/16/2011-12 नाटरस/एन डब्ल्यू एफ्ट प्रास स्थापनाएं

सेवा में

अध्यक्ष / प्रबंधक

.....  
.....

विषय- दिनांक 01 - 02 दिसम्बर 2011 को छूट प्रास स्थापनाओं के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला - नामांकन के आमंत्रण से सम्बन्धित

महोदय,

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी पिछले कई वर्षों से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत छूट प्रास स्थापनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है।

उद्योगों से इस कार्यक्रम की अनुक्रिया अत्यंत उत्साहवर्धक है तथा लगभग सभी प्रतिभागी यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम को नियमित रूप से किया जाना चाहिए जिससे कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी पेंशन योजना के प्रशासनिक विकास की सूचना मिल सके।

पिछले कार्यक्रमों में प्रतिभागियों के अनुरोध पर तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी पेंशन योजना के प्रशासनिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हमने 01 - 02 दिसम्बर 2011 को छूट-प्रास स्थापनाओं के लिए, दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला की रूपरेखा तैयार की है।

कार्यशाला में सभी सार्थक विषयों पर चर्चा करने का प्रस्ताव करेंगे -

- अधिनियम एवं योजना के प्रावधानों पर विचार विमर्श
- छूट हेतु अनुपालन प्रबंधन में निहित मामलों को इंगित करना
- छूट प्रास स्थापनाओं की विवरणी के आवर्तन एवं स्वरूप को स्पष्ट करना
- बेहतर समन्वय एवं सहयोग हेतु प्रक्रिया एवं प्रणाली का वर्गीकरण
- भविष्य निधि के लिए निवेश पद्धति पर विचार विमर्श

कार्यक्रम का नामांकन प्रपत्र, कार्यक्रम की घोषणा एवं ब्रोशियर संलग्न है।

आवासीय प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क 8000/-रुपए प्रति प्रतिभागी शुल्क रखा गया है, जिसमें रहना, खाना, पाठ्य सामग्री आदि सम्मिलित है तथा वे प्रतिभागी जो नाटरस में आवासीय सुविधा नहीं लेंगे उन्हें 6000/- रुपए प्रति प्रतिभागी शुल्क देना होगा। नामांकित व्यक्तियों के लिए नाटरस में ही रहने का प्रबन्ध किया गया है, वे एक दिन पहले अर्थात् 30.11.2011 की शाम से अगले दिन प्रातः तक कभी भी कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने के लिए आ सकते हैं। कृपया सूचित करें कि प्रतिभागी आवासीय सुविधा लेंगे या नहीं।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यशाला के लिए अपनी स्थापना की ट्रस्ट के पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को नामित करें।

स्थापना द्वारा प्रतिभागी का शुल्क, अकादमी को, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी, नाटरस, के नाम से देय, किसी भी अनुसूचित बैंक से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 20 नवम्बर 2011 तक पहुंच जाना चाहिए। कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा एवं नामांकन प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं पूछताछ के लिए अधोहस्ताक्षरी से किसी भी समय दूरभाष सं. 011-28525993 पर संपर्क करें या [natrss@hotmail.com](mailto:natrss@hotmail.com) पर ई-मेल करें।

(यह निदेशक, नाटरस के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है)

संलग्न: उपर्युक्त

भवदीय

(मन्दीप अग्निहोत्री)

उप-निदेशक एवं पाठ्यक्रम निदेशक

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी  
NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
Employees' Provident Fund Organisation  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार  
(Ministry of Labour & Employment Govt. of India)

क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 एवं क.पें.योजना 1995 के अन्तर्गत  
छूट प्राप्त स्थापनाओं हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी (नाटरस) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अन्तर्गत छूट प्राप्त स्थापनाओं के प्रतिनिधियों के लिए दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है:

कार्यक्रम, तिथि एवं समय	स्थान एवं पता जहाँ नामांकन प्रेषित किए जाने हैं	कौन उपस्थित हो सकता है	नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1-2 दिसम्बर 2011 प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ	<b>30-31</b> , इंस्टीट्यूशनल एरिया, नजदीक सी.एन.जी पेट्रोल पम्प, जनकपुरी डी ब्लाक के सामने, नई दिल्ली <b>110 058</b>	छूट प्राप्त न्यास के न्यासी, वित्त प्रबन्धक एवं एच.आर.मैनेजर	20 नवम्बर 2011

कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी :-

- अधिनियम एवं योजना के प्रावधानों पर विचार विमर्श
- छूट हेतु अनुपालन प्रबंधन में निहित मामलों को इंगित करना
- छूट प्राप्त स्थापनाओं की विवरणी के आवर्तन एवं स्वरूप को स्पष्ट करना
- बेहतर समन्वय एवं सहयोग हेतु प्रक्रिया एवं प्रणाली का वर्गीकरण
- भविष्य निधि के लिए निवेश पद्धति पर विचार विमर्श

आवासीय प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क 8000/-रुपए प्रति प्रतिभागी शुल्क रखा गया है, जिसमें रहना, खाना, पाठ्य सामग्री आदि सम्मिलित है तथा वे प्रतिभागी जो नाटरस में आवासीय सुविधा नहीं लेंगे उन्हें 6000/- रुपए प्रति प्रतिभागी शुल्क देना होगा। नामांकित व्यक्तियों के लिए नाटरस में ही रहने का प्रबन्ध किया गया है, वे एक दिन पहले अर्थात् 30.11.2011 की शाम से अगले दिन प्रातः तक कभी भी कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने के लिए आ सकते हैं।

इच्छुक प्रतिभागी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी नई दिल्ली के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं। चूंकि सीट कम है अतः पहले आओ पहले पाओ की नीति को अपनाया जाएगा। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं पूछताछ के लिए श्री मनीष अग्निहोत्री, उप-निदेशक से दूरभाष सं. 011-28525993 पर संपर्क करें या [natrssa@hotmail.com](mailto:natrssa@hotmail.com) पर ई-मेल करें



**NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH  
IN SOCIAL SECURITY**

**Employees' Provident Fund Organisation  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)**

**National Workshop for the Exempted Establishments on  
EPF & MP Act 1952 and EPS, 1995**

The National Academy for Training & Research in Social Security (NATRSS) is conducting a two-day workshop for representatives of Exempted Establishments on EPF& MP Act 1952 and EPS, 1995. The program details are given below:

Program date and time	Venue & Address to which nominations have to be sent	Who Should Attend	Last date preferably for receipt of nominations
1-2 December 2011 starting from 10:00 AM	NATRSS, 30-31 Institutional Area, Near CNG Petrol Pump, Opp. 'D' Block, Janak Puri New Delhi-110058	Trustees of Exempted Trust, Finance Manager and HR Manager	20 <sup>th</sup> November 2011

The following themes would be covered in the workshop:

- **Discussing the provisions of the Act and the Schemes**
- **Identify the issues involved in compliance management of exemption**
- **State the nature and periodicity of returns from exempted establishments**
- **Sorting out processes and procedures for better coordination and cooperation**
- **Discuss the investment pattern for provident funds.**

The course fee for Residential participants is @ Rs.8,000/- per participant covering boarding and lodging, course material etc. and Rs.6,000/- per participant for those who have not availed accommodation at NATRSS. However, the stay arrangements have been made for nominated person(s) in the campus of the Academy by the evening of previous day i.e. 30.11.2011 and next day morning of the programme.

Interested participants should send a Demand Draft drawn in favour of National Academy for Training & Research in Social Security, payable at New Delhi. Since the seats are limited, first come first served policy would be followed. For registration and queries, the program coordinator Shri Maneesh Agnihotri, Dy. Director can be contacted by e-mail at [natrss@hotmail.com](mailto:natrss@hotmail.com) and by phone at 011-28525993.

NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY  
(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)



NEW DELHI - 110 058, INDIA

Office Phone : 091-11- 28525994 / 28524248

Fax : 091-011-28524079/28525987/28524078 e-Mail - [natrss@hotmail.com](mailto:natrss@hotmail.com)

Website : [www.natrss.gov.in](http://www.natrss.gov.in)

**NOMINATION FORM**

Name of the Programme: *National Workshop for Representatives of Exempted Establishments on EPF & MP Act, 1952 & EPS, 1995*

Date: 1-2 December 2011

1. Name ( in BLOCK letters) : SURNAME: \_\_\_\_\_ MIDDLE NAME: \_\_\_\_\_ FIRST NAME: \_\_\_\_\_
2. Sex ( Male / Female): .....
3. Educational/Professional Qualification : .....
4. Name & Address of the Organisation  
.....  
.....
6. Designation (Present Title of your Job): .....
7. Working Experience (No. of Years) .....
8. Telephone Nos.(with Country):  
Office:.....Residence:.....  
(code) Mobile:..... Fax:.....
9. E-mail address : ( i)Personal : .....
- (ii)Office : .....
10. Details of the Bank Draft: i) DD No..... ii) Date.....  
iii) Amount:.....  
iv) Bank's Name:.....
11. What are your expectations from this programme.....  
.....  
.....
12. Have you ever attended any Training/Workshop/Seminar at NATRSS. If yes, please indicate Name & date of the programme : Yes / No .....
13. Indicate whether stay at Hostel required: Yes / No  
(However, the stay arrangements have been made for nominated person(s) in the campus of the Academy by the evening of previous day i.e. 30.11.2011 and next day morning of the programme i.e. 3.12.2011).

➤ Signature of Participant : .....

Signature of the Sponsoring Authority certifying the above information :